

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी-वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 265/17  
(जीसीएमएस संख्या 2011/00111)

निर्णय दिनांक:-04-12-2023

1. मांगूसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी भोम बगसेऊ तहसील नोखा जिला बीकानेर।

-अपीलांट-

-बनाम-

1. रामजस पुत्र दुदाराम जाति बिश्नोई निवासी रोटू तहसील जायल जिला नागौर।
2. अरुण पुत्र श्री देवेन्द्र जाति बिश्नोई निवासी 3 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. अमित पुत्र श्री सहदेव जाति बिश्नोई निवासी 3 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. दीपक पुत्र श्री सहदेव जाति बिश्नोई निवासी 3 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

-रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 30-11-1981  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अनिल कुमा ओझा, अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्यचा 2 ता 4
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट्स ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 30-11-1981 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ता 4 को किया गया है,

राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर

के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।


2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाट् द्वारा बतौर भूमिहीन श्रेणी में तहसील पूगल के चक 662-700 आरडी के मुरब्बा नम्बर 214/64 के किला नम्बर 1 ता 10 तादादी 10 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 12-02-1976 को किया गया। परन्तु अपीलाट् को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उक्त भूमि का आवंटन कालान्तर में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ता 4 को कर दिया गया। इसमें अपीलाट् का कोई दोष नहीं है। अपीलाट् एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलाट् आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।



राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलाट् को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलाट् अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलाट् के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलाट् का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलाट् की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलाट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलाट् को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे।

  
राजस्थान अपील अधिकारी  
बीकानेर


4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 2 ता 4 द्वारा कथन किया रेस्पोजेन्ट्स के आवंटन को निरस्त किये बिना ही आवंटन नियमों के तहत अपीलांट को उसकी पात्रता के अनुसार अन्यत्र भूमि आवंटित की जाती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-11-1981 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 26-07-2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।



हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से अपीलांट को सक्षम मानते हुए उपनिवेशन तहसील, पूगल के चक 662-700 आरडी के मुर्ब्बा नम्बर 214/64 के किला नम्बर 1 ता 10 तादादी 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। आवंटन अधिकारी की पत्रावली में शामिल दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य व्यक्तियों को आवंटित की जा चुकी है तथा अपीलांट को किया गया आवंटन रद्द नहीं किया गया है। अपीलांट को भूमि पर कब्जा न मिलने तथा पश्चात्वर्ती आदेश के तहत अन्य को आवंटित कर दिये जाने से अपीलांट का हक समाप्त नहीं किया जा सकता। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलांट आज भी पात्रता के अनुसार अन्य भूमि आवंटन करवाने का अधिकारी है।

  
राजस्थान अपील अधिकारी  
बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर पर अपीलांत की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-11-1981 यथावत बहाल रखते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांत की आज दिनांक की पात्रता की जाँच करते हुए अपीलांत को अन्यत्र भूमि आवंटन के संबंध में पुनः नियमानुसार कार्यवाही की जावे।



8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 4/12/23 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर